जारी
23/03/17

शीर्ष प्राथमिकता/ फैक्स/ई-मेल
संख्या- 338पी/छः-पु-3-2017- 06पी/2012

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2017

विषयः-महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण तथा सम्मान के संकल्प का कार्यान्वयन।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सम्मान के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सभी सार्वजनिक स्थलों यथा चौराहों, बाजारों, मॉल्स, पार्क व अन्य स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने हेतु तथा महिलाओं एवं किशोरियों के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकने हेतु समस्त जनपदों में एक अभियान चलाकर इस संकल्प का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी जनपदों में इसके लिए एक अभियान चलाया जाए, जिसके अन्तर्गत स्कूल, कालेज, बाजार, मॉल्स, कार्यालयों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर अन्य अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए। उन्हें कड़ी हिदायतें दी जाएँ, उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लिया जाए। इस अभियान का संकल्प करने वाले कर्मियों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी सादी वर्दी में ड्यूटी लगाई जाए। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाये जाए उन्हें प्रथमतः समाधान की कार्यवाही की जाए ताकि इस अभियान के सम्बन्ध में माडल पुलिसिंग कराने जैसा कोई संदेश न जाए।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी कार्यवाही के दौरान पकड़े गये किसी शोहदे के साथ अमानवीय व्यवहार यथा बाल कटवाने, मुर्गा बना देने एवं कालिख पोतने जैसे कृत्य न करें। प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त पुलिस उपाधीक्षक, समस्त थाना प्रभारियों, उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाए तथा इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए।

कृपया उक्त दिये गये निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-338(1)पी/छः-पु-3-2017-06पी/2012 एवं तद दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक ,उ०प्र०,लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ०प्र०।

3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ०प्र०।

4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ०प्र०।

5- समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,उ०प्र०।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी०एल०गुप्ता)
संयुक्त सचिव।